HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के अभियोग में 03 हत्यारोपियों को आजीवन कारावास व 1,50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 06.03.2025 को मा0 न्यायालय के द्वारा "एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने" के अभियोग में 03 अभियुक्तों को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 24.02.2016 को अभियुक्त 1.दीन मौहम्मद पुत्र उमर शेर 2. शान मौहम्मद पुत्र दीन मौहम्मद 3. गुली हसन पुत्र दीन मौहम्मद समस्त निवासीगण ग्राम पूठ थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ द्वारा ग्राम के ही एक व्यक्ति की चुनावी रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बहादुरगढ़ पर मु0अ0सं0 62/2016 धारा 147, 148, 149, 302 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 31.05.2016 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 06.03.2025 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय ADJ तृतीय हापुड़ द्वारा आजीवन कारावास व 1,50,000/- रुपये (प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये) के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री विजय कुमार चौहान (ए.डी.जी.सी) व विवेचक निरीक्षक अविनाश कुमार एवं पैरोकार है0का0 राकेश कुमार व कोर्ट मोहर्रिर उ0नि0 महिपाल शर्मा का विशेष योगदान रहा।